

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा (म0प्र0)

!! परिपत्र !!

क्रमांक 57 / दो-11-1 / 2007

हरदा, दिनांक 24 / 02 / 2023

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के पत्र क्रमांक डी/958/Leave (GZ)/IV-8-42/77 दिनांक 22.02.2023 द्वारा निर्देशित किया गया है कि सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना कोई भी न्यायिक अधिकारी अवकाश पर न जाये और न ही मुख्यालय छोड़े।

अतः एतद् द्वारा न्यायिक अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि कोई भी न्यायिक अधिकारी अवकाश स्वीकृति के बिना अवकाश पर नहीं जायेगा और बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेगा।

अत्यधिक आकस्मिकता की स्थिति में भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश से दूरभाष पर पूर्व अनुमति प्राप्त कर और अवकाश आवेदन प्रेषित कर ही मुख्यालय छोड़े और अवकाश का उपभोग करें।

यह भी निर्देशित किया जाता है कि यह आदेश की किंचित अट्टलना पर आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

sdl
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
हरदा (म0प्र0)

पृ0क्रमांक 220 / दो-11-1 / 2007

हरदा, दिनांक 24 / 02 / 2023

प्रतिलिपि:-

1. समस्त न्यायिक अधिकारीगण, न्यायिक जिला स्थापना, हरदा
2. प्रभारी अधिकारी, समस्त अनुभाग, जिला न्यायालय, हरदा
3. प्रशासनिक/उप प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा
4. प्रस्तुतकार, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- ✓ 5. सिस्टम ऑफिसर/डी.एस.ए., कम्प्यूटर अनुभाग, जिला न्यायालय, हरदा की ओर जिला न्यायालय हरदा की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

A
25-2-23
कृते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
हरदा (म0प्र0)